

**सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों के विधवाओं की पुनर्विवाह के लिए ₹ 1,00,000/-
(एक लाख रुपये) मात्र की आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र।**

भाग - "क"

(आवेदिका का विवरण)

हाल का पासपोर्ट
फोटो चिपकाए

1. आवेदिका का नाम (पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ)
भूतपूर्व सैनिक/पति का न० रैंक नाम
अलंकरण
2. स्थाई पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर छायाप्रति संलग्न करें) :
ग्राम पोस्ट जिला
पिन मोबाईल सं०
3. सेना में भर्ती की तिथि
4. सेना से निवृत्ति की तिथि
5. सैनिक के शहीद होने/मृत्यु की तिथि (शहीद/मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
6. लड़का (जिसके साथ शादी हो रही है) का नाम
जन्म तिथि लड़के के पिता का नाम
ग्राम पोस्ट जिला पिन
के साथ दिनांकको विवाह संपन्न हुआ।
7. आवेदन पत्र शादी संपन्न होने के उपरांत जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। तदोपरान्त ही अनुदान देय होगा (शादी का निमंत्रण कार्ड एवं विवाह निबंधक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)।

घोषणा

मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरणी सही है।

दिनांक :

आवेदिका का हस्ताक्षर एवं नाम

नाम :

नोट : आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

- | | |
|---|---|
| 1. डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति | 2. पेंशन अदायगी आदेश (PPO) की छायाप्रति |
| 3. आधार कार्ड की छायाप्रति | 4. जि०सै०क०का० द्वारा जारी पहचान पत्र |
| 5. बैंक पास बुक के पहले पन्ने की छायाप्रति | 6. विवाह कार्ड की मूल प्रति |
| 7. विवाह निबंधन कार्यालय द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र।
(आवेदन शादी के छः महीने के अंदर इस निदेशालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। समय के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा) | |

खण्ड - "ख"

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के व्यवहार हेतु)

कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन

8. आवेदक का विवरण जाँचा गया तथा सही पाया गया/सही नहीं पाया गया है। इस आवेदिका को ₹ मात्र (रूपये मात्र) की एक मुश्त आर्थिक सहायता भुगतान हेतु अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है। इनका नाम कार्यालय पंजी के क्रमांक दर्ज है।

दिनांक :

(कल्याण व्यवस्थापक का नाम एवं हस्ताक्षर)

(जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा)

9. कल्याण व्यवस्थापक श्री के जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आवेदक को ₹/- (रूपये.....मात्र) एक मुश्त भुगतान करने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,

खण्ड - "ग"

सैनिक कल्याण निदेशालय

10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न दस्तावेजों, अन्य साक्ष्य अभिलेखों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

सहायक निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची

11. आवेदक के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और सहायक निदेशक के अनुशंसा उपरांत आवेदक को ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता भुगतान को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक :

निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची